

अन्यासः - १६१ १२/६५

Serial 5-1-54.

आप के कार्यालय के पृ० क्रमांक डी. ११६-२३/५८

II - 24 9-5-2003 के आदेश में,

उपरोक्त विषय पर, नगर परिषद अधिनियम
के अन्तर्गत जो भी प्राधिकार प्रस्तावित स्थान को निर्माण 31/03
को निर्धारण किया जायेगी की निरीक्षण सिर्फ इस कार्यालय के
प्रति भेजा जायेगा नं. FBM 426/2003 दिनांक 20-10-2003 के अनुसार
श्री मान सिंह साहू, नगर विकास इरिगेशन - चण्डीगढ़ को लिखी
गई थी इस पत्र की प्रति पुनः फाइल नं. FBM 427/2003 दिनांक
20-10-2003 की तारीख के कार्यालय में दृष्टांत की जाती
पत्र में नगर परिषद की स्वीकृति के अन्दर में ही पत्र लगाने
की स्वीकृति प्रदान करने लिखा गया था। जिस पर अभिन
विदेशीय, नगर विकास इरिगेशन - चण्डीगढ़ के मामले का
कार्यालय नं. सी.पी.सी. 01/21-प्र/2003/70463 दिनांक 12-12-03
द्वारा लिख कर भेजा जाता है कि उपरोक्त कार्य में तत्पक्षों
का मतभेद नगरपालिका द्वारा जारी दिनांक 25-11-03 की शिफारिशों की
अंतर अवधि के कारण होने से सुनिश्चित किया जाता है कि विभाजन
आवेदन दाखला द्वारा नगरपालिका ने नगर परिषदों / नगरपालिकाओं
में में ही पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त बातें
अपनी स्तर पर संज्ञा दी जा रही हैं। पत्र की प्रतीति
संलग्न है।

प्रस्तावित स्थान के आधारभूत को प्राप्त होकर सेना
प्रस्तावित प्रस्तावित स्थान के पूर्व में शिवालय बिल्वा रोड पर
है। इस के पूर्व में पार्क पर में बिल्वा रोड की लकी गार्डन
है। जिस को का है कर २ बीघर २०० बीघर का है।
है। इस को का है कर २ बीघर २०० बीघर का है।
है। इस को का है कर २ बीघर २०० बीघर का है।

1. D.C.P. નામિના હોમલે મળે 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ પાંચે
 2. પી.સી. નામિના હોમલે મળે 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ પાંચે

3. तब की लड़कियों को कि लाल बंगला बनवाकर देना
लगा है - - - - -

14. "मुद्रापात वर्जित है" का बोर्ड लगा हुआ है।

नोट: (i) लाल उर्वरक बालन अन्य आवश्यक सामान
को भी बिक्री करके लगाने जाय।

(ii) उपरोक्त भवन बालन अन्य लाल बंगला को जो
पुर्णतः करवा के लोड पोरबन करवाय जाय।

(iii) तब की लाली करवायगी आश्रमपत्री को इन
भवन बालन अन्य को पुर्णतः लाली को पुर्ण
जाय है।

(iv) अथर्व विनोदराज के किसी भी शत्रु उपरोक्त
वर्ग पुत्री नहीं पाई गई है वह करवायगी
इस लड़कियों को बंद करने की विचारित
करने का अधिकार है।

संलग्न मान चित्र

प्रमाणित
नगर परिषद, इलाहाबाद